भारत मे **मानव अधिकार और आपराधिक न्याय प्रणाली**:-(4th **sem**) **unit** 2.

सुधारात्मक संस्थाएं : भारत में अपराधियों के उपचार हेतु विभिन्न देशों में विभिन्न पद्धति पर आधारित भिन्न-भिन्न प्रकार के उपचार जो किए जा रहे हैं उनमें से कुछ को अपनाया है यद्यपि यह कार्यक्रम अभी प्रयोग इस दौर से गुजर रहा है परंतु फिर भी इसके परिणाम दंड पर आधारित नीति से कहीं अधिक संतोषजनक है जिन के उपचार पद्धति के प्रति निरंतर उत्साह एवं जनमत तैयार हो रहा है यह सुधार मत मत सुधारात्मक विचारधारा ने बाल अपराधियों के अध्ययन को अत्यंत ही महत्व प्रदान किया है क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र का भावी कर्णधार हैं और व्यस्को की अपेक्षा बाल अपराधियों को सुगमता से सुधारा जा सकता है जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि बाल सुलभ मन अपराध कर ही नहीं सकता बालक कच्ची मिट्टी की भांति है जिसे आप चाहे तो महान व्यक्ति बना सकते हैं अच्छा नागरिक बना सकते हैं चाहे तो खराब नागरिक या शैतान बना सकते हैं वास्तव में बालक बालिकाओं के विकास कीआवाज नहीं उठती वे जन्म से अपराधी नही होते आसामाजिक प्रभाव उन्हें गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं बालक का मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं होता आता उसमें सहज प्रवति जैसे दूसरे की नकल करना,दूसरे को देख नशा आदि करना विद्यमान रहती है इसलिए ही भारतीय दंड संहिता में भी 7 वर्ष से कम के बालक द्वारा किए गए किसी भी कार्य को अपराध नहीं माना गया है और 18 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कार्य कम दंड से दंडनीय हैं बच्चों के बारे में सभी विद्वान जनों ने यही माना है कि उन्हें सुधारा जा सकता है और यदि वह बिगड़ते हैं तो उसमें भी उसके लिए समाज उत्तरदाई है ना कि वह बच्चा। बच्चे अपराधी कब बनते है बच्चा निम्न कारणों से अपराधी बनता हैं-

1 उचित पालन पोषण के अभाव में लालच बस भोजन वस्त्र पैसे आदि के लिए चोरी करते हैं

2 कुछ बच्चे कठोर अनुशासन या गिरना के कारण आदतन आज्ञाकारी और अपराध करना उनकी आदत बन जाता है जिसे प्रेम की कमी ही माना जाता है

3 कुछ बालक अपराधिक संगति में पढ़कर बिगड़ जाते हैं और दुष्टता के कारण अपराधी बन जाते हैं जिसमें गलत चाल चलन के लोगों की संगति विशेष्य है

4 कुछ बालक कार्यकाल संतुलित नहीं होता अतः वे व्यक्तित्व के असंतुलन के कारण अपराधी प्रकृति की ओर अग्रसर हो जाते हैं

5 वर्तमान में इंटरनेट और मोबाइल के दुरुपयोग के कारण अश्लील साइटों के कारण और हिंसा की भरमार विज्ञापनों फिल्म टीवी और मोबाइल पर होने से भी बच्चे अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

सुधार विद्यालय बाल अपराधियों के सुधार की एक संस्था है जहां बाल अपराधियों में शिक्षा के माध्यम से सुधार किया जाता है सुधार विद्यालयों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है

“सुधार विद्यालय एवं संस्थाएं जिसमें साधारणतया 16 वर्ष से कम उम्र के बालक अपराधी भर्ती किए जाते हैं जो पहले ही सजा काट चुके होते हैं जिन पर माता-पिता या अन्य किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा होता है।“

“सुधार विद्यालय से तात्पर्य उस विद्यालय से है जिसमें अवयस्क बच्चे जिन्हें न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है को सुधारने के लिए रखा जाता है।“

“ फेयर चाइल्ड ने कहा है कि सुधार विद्यालय एक संस्था है जिसकी स्थापना प्रारंभ से अल्प वयस्क प्रौढ़ एवं बालोतरा अपराधियों के पुनर्वास के लिए की गई थी।“

सुधार विद्यालय केवल उन्हीं प्रदेशों में स्थापित किए गए हैं जहां सुधार विद्यालय अधिनियम लागू होता है यह अधिनियम 1897 में पारित किया गया था इस अधिनियम में किशोर अपराधी की परिभाषा ऐसे अपराधी के रूप में की गई थी जिसे कारागार या देश निकालने की सजा दी गई हो और जिसकी आयु मुंबई में 16 वर्ष एवं अन्य स्थानों में 15 वर्ष से कम हो परंतु अब 18 वर्ष से कम तक के बच्चों को सुधार गृह में रखा जाता है अब वर्तमान में सुधार गृह हर संभाग स्तर पर देश में बने हुए हैं जहां बच्चों को व्यस्को की जेल से अलग रखा जाता है कड़े रूप से सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि बच्चों को बड़े अपराधियों से दूर रखा जाए ताकि उनमें सुधार की गुंजाइश बनी रहे नहीं तो वह बड़े अपराधियों के साथ यदि जेल में बंद रहेंगे तो और बड़े अपराधी बन जाएंगे।

सुधार विद्यालय की कार्य पद्धति सुधार में विद्यालयों में बालकों को सही दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए दो दिशा रखि गई हैं - 1सुधार 2 पुनर्वास।

इस तरह अपराधियों को सुधारना एवं समाज के साथ सामंजस्य करने की शिक्षा देकर उन्हें पुनर्वास में मदद करना इन विद्यालयों का लक्ष्य है बाल अपराधियों को इन विद्यालयों में निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया जाता है जैसे कि बाल अपराधियों को सुधार विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है उसका अध्ययन प्रारंभ हो जाता है इस अध्ययन का उद्देश्य बाल अपराधी एवं उसके वातावरण और मानसिक दशा की जानकारी हासिल करने तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए किया जाता है बाल अपराधियों के स्वभाव को भली प्रकार से समझ लेने के पश्चात उससे संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है यह शिक्षा बालक की अभी आयु के अनुसार दी जाती है जब बाल अपराधी शिक्षित हो जाता है तब उसे व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है यह प्रशिक्षण इस प्रकार का होता है कि बाल अपराधी प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी रोजी-रोटी कमाने के योग्य बन सके बाल अपराधी से जो श्रम लिया जाता है उसके बदले में उसे मजदूरी दी जाती है उस अवधि में बालक पर नजर रखी जाती है और यह देखा जाता है कि उसकी प्रवृत्ति में कितना सुधार हुआ है

सुधार विद्यालयों में बाल अपराधियों को पूर्ण सुधार के पश्चात ही मुक्ति मिलती है परंतु कभी-कभी किन्हीं विशेष कारणों से पूर्व में भी मुक्ति दी जा सकती है।

असफलता के कारण- सुधार विद्यालय अपने कार्य मे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई हैं जिसके कारण निम्न हैं

1 बाल अपराधियों के सुधार के लिये आवश्यक मनोवैज्ञानिक वातावरण भी इन विद्यालयो में नहीं बन पाता है जो इनकी असफलता का प्रमुख कारण है।

2 बालक की आपराधिक प्रवृत्ति को समझना आसान नहीं है।योग्य मनोवैज्ञानिक के आभाव में सभी बच्चों को अनाथालय के समान शिक्षा देना शुरू कर दिया जाता हैं जिससे सुधार को दिशा नही मिलती हैं।

3 इस कार्यक्रम में नैतिकता और आत्मसम्मान और प्रेम की भावना कि कमी है।

4 सुधारात्मक संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं वह केवल उसे एक नौकरी ही समझ कर नौकरी के ढंग से ही करते हैं ना कि बच्चों को सुधारने और उनको नैतिक शिक्षा देने के लिए अपने मन और तन से प्रयास करते हैं इस रूटीन प्रक्रिया को मानती है वह एक ढर्रे में ही बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं जिसके कारण बच्चों में उचित एवं पूर्ण रूप से सुधार नहीं आ पाता।

5 व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त कर्मशाला ना होना एवं प्रबंधन में अव्यवस्था भी इसकी असफलता का एक कारण है।

सुझाव – सुधार विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं यदि उन्हें सही मार्गदर्शन एवं उत्तम प्रबंध में चलाया जाए इसकी प्रगति एवं अच्छे परिणामों के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं सुधार विद्यालयों में मनोवैज्ञानिक वातावरण में सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाना चाहिए अधिकारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए प्रशिक्षण में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए अपराधियों में आत्म सम्मान की भावना जागृत करने वाले कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए व्यवसायिक प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए एवं कर्म शालाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए जो बड़े अपराध प्रवृति के बच्चे हैं जो ग्रुप बनाकर अपराध करते हैं संगठन बनाकर अपराध करते हैं संगठित अपराधों से जुड़े हुए हैं उन्हें अलग रखा जाना चाहिए और बच्चों को अलग रखा जाना चाहिए आजकल बच्चे भी संगठित रूप से कर रहे हैं और वह अंदर जाकर अपनी टोली को बढ़ावा देते हैं और अंदर ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो आसानी से अपराध की ओर अग्रसर हो सके तो कई जगह विद्यालयों में जब निकलते हैं बच्चे और बड़े अपराधियों के साथ संगठित हो जाते हैं और बड़े अपराधी बन जाते हैं और सरकार को विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में कुछ विशेष गुण होते हैं कोई पेंटर होता है कोई गायक होता है कोई कलाकार होता है कई बच्चे कला में निपुण होता है तो उन बच्चों को जो विशेष कलाओं में निपुण है या निपुण हो सकते हैं उन्हें अलग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उनके लिए अलग से टीचरों की व्यवस्था की जाना चाहिए जिससे वे **जिससे वे अपने हुनर को विकसित कर सकें और समाज को** एक अच्छा कलाकार मिल सके।